भारत सरकार
विदेश मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 75
दिनांक 26.07.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारतीय छात्रों पर हमले

75. **श्री बैन्नी बेहननः**
श्री हरीश चंद्र मीनाः

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार को विदेशों में भारतीय छात्रों के विरुद्ध हिंसा की बढ़ती घटनाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान देश–वार कितने भारतीय छात्रों की विदेशी विश्वविद्यालयों में मृत्यु हुई है; और

(ग) विदेशों में भारतीय छात्रों के विरुद्ध हिंसा की घटनाओं की जांच करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्ति वर्धन सिंह)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

'भारतीय छात्रों पर हमले' के संबंध में दिनांक 26.07.2024 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *75 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग): विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केंद्रों के पास उपलब्ध आंकड़े हाल के दिनों में विदेश में भारतीय छात्रों के खिलाफ हिंसा में वृद्धि का संकेत नहीं देते हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान विदेशी विश्वविद्यालयों में मरने वाले भारतीय छात्रों की कुल संख्या की देशवार सूची अनुबंध 'क' में संलग्न है, जिसमें हिंसा के कारण मरने वाले भारतीय छात्रों का भी उल्लेख है।

2. विदेश में भारतीय छात्रों को सुरक्षा एवं संरक्षा प्रदान करना भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। विदेश स्थित भारतीय मिशन/केंद्र, विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखते हैं। यह व्यवस्था विदेशी विश्वविद्यालयों में भारतीय छात्रों के दाखिले के साथ ही शुरू हो जाती है जब उन्हें विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केंद्रों द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। भारतीय मिशनों/केंद्रों के प्रमुख अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित करते हैं और उन छात्रों को विदेशों में उनके प्रवास के दौरान आने वाली चुनौतियों और खतरों, यदि कोई हों, के बारे में जानकारी देते हैं और बताते हैं कि इन स्थितियों से बचने के लिए प्रतिक्रियात्मक उपाय कैसे किए जा सकते हैं। भारतीय मिशनों/केंद्रों के प्रमुख और अन्य वरिष्ठ दूतावास अधिकारी भी भारतीय छात्रों और भारतीय छात्र संघों के साथ नियमित रूप से बातचीत करने के लिए अपने-अपने अधिकार क्षेत्र वाले देशों के विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों का दौरा करते हैं।

3. विदेश स्थित भारतीय मिशन/केंद्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों को अपने यहां तथा मदद पोर्टल पर पंजीकरण कराने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ताकि उनकी शिकायतों तथा लंबित मुद्दों का समयबद्ध तरीके से समाधान किया जा सके। विदेश स्थित भारतीय मिशन/केंद्र भारतीय छात्रों को नियमित आधार पर संपर्क में रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तथा उनके समक्ष लंबित मुद्दों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। छात्रों की शिकायतों का टेलीफोन कॉल, वॉक-इन, ईमेल, सोशल मीडिया, 24x7 आपातकालीन हेल्पलाइन, ओपन हाउस तथा मदद पोर्टल के माध्यम से लगभग वास्तविक समय आधार पर

समाधान किया जाता है। विदेश स्थित भारतीय छात्रों से प्राप्त किसी भी शिकायत को अपेक्षित कार्रवाई के लिए संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान तथा मेजबान सरकार, जैसा भी मामला हो, के समक्ष उठाया जाता है।

४. विदेश में भारतीय मिशन/केंद्रों द्वारा अप्रिय घटनाओं के मामलों को तुरंत मेजबान देश के संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष उठाया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी उचित जांच की जाए और अपराधियों को दंडित किया जाए। आपात स्थिति या संकट की स्थिति के दौरान, विदेश में भारतीय मिशन/केंद्र संकटग्रस्त/फंसे हुए भारतीय छात्रों को भोजन, आश्रय, दवाइयाँ प्रदान करके सक्रिय रूप से मदद करते हैं और जल्द से जल्द उनकी भारत वापसी/निकासी सुनिश्चित करते हैं। हाल ही में वंदे भारत मिशन, ऑपरेशन गंगा (यूक्रेन) और ऑपरेशन अजय (इजरायल) के माध्यम से दुनिया भर के देशों से फंसे हुए भारतीय छात्रों को भारत लाया गया। हमारे उच्चायोग द्वारा बांग्लादेश से भी कई भारतीय छात्रों को भारत वापस लाया गया।

*****

अनुबंध–क

पिछले 5 वर्षों में भारतीय छात्रों की मृत्यु से संबंधित मामलों पर प्राप्त देशवार जानकारी

क्र.सं.	देश	मृत भारतीय छात्रों की कुल संख्या	हमलों के कारण हुई मौतों की संख्या
1.	ऑस्ट्रेलिया	57	1
2.	बेल्जियम	1	0
3.	चीन	8	1
4.	कनाडा	172	9
5.	मिस्र	2	0
6.	गैबोरॉन	1	0
7.	जर्मनी	24	0
8.	इटली	18	0
9.	आयरलैंड	2	0
10.	पाकिस्तान	1	0
11.	ताइवान	4	0
12.	कजाखस्तान	7	0
13.	किर्गिज़स्तान	12	1
14.	मॉरीशस	1	0
15.	न्यूज़ीलैंड	6	0
16.	रूस	37	0
17.	सिंगापुर	3	0
18.	कतर	6	0
19.	स्पेन	3	0
20.	ताजिकिस्तान	1	0
21.	यूक्रेन	18	0
22.	यूके	58	1

23.	यूएसए	108	6
24.	संयुक्त अरब अमीरात	3	0
25.	उज़्बेकिस्तान	2	0
26.	आर्मेनिया	7	0
27.	जॉर्जिया	12	0
28.	साइप्रस	12	0
29.	दक्षिण कोरिया	2	0
30.	फिलिपींस	7	0
31.	चेक गणराज्य	1	0
32.	ईरान	1	0
33.	सऊदी अरब	18	0
34.	फ्रांस	6	0
35.	फिनलैंड	2	0
36.	हंगरी	1	0
37.	स्विट्ज़रलैंड	1	0
38.	मोलदोवा	2	0
39.	दक्षिण अफ्रीका	1	0
40.	सूरीनाम	1	0
41.	नीदरलैंड	4	0
कुल		633	19

*****